

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 02

सन् 2019

राज. सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर
बनाम

मोहर सिंह, जसराम, बृजलाल, फकीरचन्द पिसरान नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी रायसिंहपुरा

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 11.08.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का रायसिंहपुरा ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी मोहर सिंह, जसराम, बृजलाल, फकीरचन्द पिसरान नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर द्वारा ग्राम रायसिंहपुरा के ख.न. 510/2 में 7.590 हैक्टर गैर मुमकिन चारागाह की भूमि पर नाजायज काश्त कर सवत 2076 में नाजायज अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। प्रार्थी का एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्डाधिकारी मुकाम नोहर में अ0 धारा 212 RT ACT न0 73 सन् 2015 जैरकार था प्रार्थना पत्र मूल वाद मोहरसिंह बनाम सरकार जिसका निर्णय दिनांक 14.02.2020 द्वारा हो जाने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पटवारी हल्का रायसिंहपुरा द्वारा गैर मुमकिन चारागाह की भूमि पर अप्रार्थी द्वारा नाजायज अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है अतिक्रमी को भू-राजस्व दर का 100 गुणा के बराबर तावान राशि रु. 158/- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का मेघाना को आदेश जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिनांक
2020-21 अक्टूबर 13
श.म.प. 04
ए.पि. 06 अरुण
मय
Bhaskar
TRB

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ



कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 1466


दिनांक: 11.08.2020

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 74/2016 में निर्णय दिनांक 11.08.2020 के द्वारा मोहर सिंह, जसराम, बृजलाल, फकीरचन्द पिसरान नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ के रायसिंहपुरा 510/2 में 7.590 हैक्टर गैर मुमकिन चारागाह में अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप 158 रूपये तावान से दण्डित किया गया है।


अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 1466


तहसीलदार (राजस्व)
नोहर
दिनांक:- 11.08.2020

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. भूअभिलेख निरीक्षक मेघाना को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर/फर्द निलामी वास्ते स्वीकृति पेश करने हेतु।
2. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
3. पटवारी हल्का रायसिंहपुरा को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।


तहसीलदार (राजस्व)
नोहर
बाहर